


**कार्यालय – जनपद न्यायाधीश, बांदा।**  
**ठेका की नीलामी की सार्वजनिक सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित दुकानों की वित्तीय वर्ष 2024-2025 (दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.03.2025) की अवधि हेतु नीलामी बोली पृथक-पृथक नजारत, जिला जजी, बांदा में दिनांक 25.04.2024 को सांय 4.30 बजे से निम्नानुसार होगी:-

क्रमांक	दुकान का प्रकार (जजी परिसर)	जमानत धनराशि	बोली का समय
1	कैण्टीन (मुख्य न्यायालय भवन)	रु0 10,000/-	सांय 4.30 बजे से
2	कैण्टीन (बहुखण्डीय न्यायालय भवन)	रु0 35,000/-	सांय 4.30 बजे से

1. बोली बोलने वाले को बोली से पूर्व उपरोक्तानुसार पृथक-पृथक नकद जमानत धनराशि जमा करनी होगी, जो बोली समाप्त होने के पश्चात स्वीकृत बोली के अतिरिक्त, शेष बोली बोलने वालों को लौटा दी जायेगी।
2. बोली स्वीकृत होने की दशा में, स्वीकृत बोली की 1/4 राशि उसी समय नकद जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि तय किस्तों में देय होगी। संबन्धित बोली बोलने वाले व्यक्ति/संस्था को ठेका प्राप्त करने के लिये निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र दो दिन के अन्दर निष्पादित करना होगा।
3. बोली बोलने वाले व्यक्ति को अपनी पहचान हेतु आधार कार्ड और पैन कार्ड लाना अनिवार्य है।
4. बोली बोलने वाला व्यक्ति बकायेदार व काली सूची के अर्न्तगत न आता हो।
5. जल एवं विद्युत व्यवस्था, ठेकेदार को स्वयं करनी होगी।
6. खाद्य सामग्री की बिक्री विभागीय कमेटी द्वारा निर्धारित मात्रा व दरों पर ही करना अनिवार्य होगी।
7. कैण्टीन व न्यायालय परिसर में पान, बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा तथा पान मसाला आदि की बिक्री पूर्णतः वर्जित है।
8. बोली स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने व नीलामी की तिथि स्थगित करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को होगा। नीलामी से सम्बन्धित अन्य जानकारी केन्द्रीय नाजिर जिला जजी, बांदा से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

दिनांक :-

  
अध्यक्ष, नीलामी / बोली समिति /  
प्रथम अपर जिला जज, बांदा।

प्रतिलिपि, निम्नांकित कार्यालयों के सूचना पट पर चस्पा एवं प्रकाशन कराये जाने हेतु :-

- 1 सूचना पट, जिला सूचनाधिकारी, बांदा।
- 2 सूचना पट, अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, बांदा।
- 3 सूचना पट, नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, बांदा।
- 4 सूचना पट, जिला परिषद, बांदा।
- 5 सूचना पट, नगर पालिका परिषद, बांदा।
- 6 सूचना पट, जनपद न्यायालय, बांदा।
- 7 प्रधान सम्पादक, दैनिक कर्मयुग प्रकाशन
- 8 प्रधान सम्पादक, दैनिक श्री इण्डिया
- 9 प्रधान सम्पादक, दैनिक दोआबा वार्ता
- 10 प्रधान सम्पादक, दैनिक न्यायाधीश
- 11 प्रधान सम्पादक, बुन्देलखण्ड लाइव, बांदा।
- 12 प्रधान सम्पादक, तेजस टुडे, बांदा।
- 13 कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, बांदा।
- 16 कम्प्यूटर अनुभाग, जिलाधिकारी कार्यालय, बांदा।

  
केन्द्रीय नाजिर  
जनपद न्यायालय, बांदा।